



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-69 / 2019
दिनांक : 23.09.2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 005/वि.प.ग./59 (3)/09 दिनांक 09.01.2017 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (एफ) के अंतर्गत डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर, एसोशिएट प्रोफेसर के स्थान पर डॉ. ओम प्रकाश भारती, एसोशिएट प्रोफेसर को विद्या-परिषद का सदस्य नामित किया जाता है।

डॉ. ओम प्रकाश भारती का कार्यकाल यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष होगा।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 23/09/19

प्रति :

डॉ. ओम प्रकाश भारती (ईमेल द्वारा)
एसोशिएट प्रोफेसर,
म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर (ईमेल द्वारा)
एसोशिएट प्रोफेसर,
म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. विद्या-परिषद के सभी माननीय सदस्य
3. कार्य-परिषद के सभी माननीय सदस्य
4. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर, मार्ग, नई दिल्ली
7. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ / विभाग / केंद्र / अनुभाग
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट
9. संबंधित पत्रावली